न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 41/2019

ताराचंद पुत्र दुर्गाराम जाति मीणा, निवासी मैनपुरा उप तहसील गुढा गौड़जी,तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार गुढा—गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा—गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम ताराचंद अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 02/2019 निर्णय दिनांक 09—7—2020

उपस्थितिः—

1 .श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट ---- -- -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----------रेस्पोडेन्ट की ओर से।
3. श्री संदीप कुमार कालेर,एडवोकेट ----------------रेस्पोडेंट नं0 2 की आरे से।

—निर्णय— दिनांक 12.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ताराचंद मु0 नं0 02/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर—03 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम मैनपुरा जरिये इकरारनामा विक्रय दिनांक 11.6.2018 को अमित कुमार पुत्र जनोधन से खरीदी थी. । तब से अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और अपने पशुपालन का [illegible] करता है, जो अपीलांर्थी की जीविकोपार्जन का साधन भी है। झूठी शिकायत के आधार पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goud
Date: 2021.10.12 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर–03 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम मैनपुरा जरिये इकरारनामा विक्रय दिनांक 11.6.2018 को अमितकुमार पुत्र जनोधन से खरीदी थी । तब से अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और अपने पशुपालन का कार्य भी करता है, जो अपीलांर्थी की जीविकोपार्जन का साधन भी है। झूठी शिकायत के आधार पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना तथ्यों पर गौर किये, उसके विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि ग्राम मैनपुरा में कृषि भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.02हैक्टर किस्म बारनी प्रथम की खातेदारी मंदिर श्री बिहारीजी बांके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके 6000 वर्गफीट भूमि पर अपीलांट ने कच्चा –पक्का निर्माण कर मुर्गी फार्म का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 09.07.2020 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी मैनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 2.02 हैक्टर किस्म बारनी प्रथम की खातेदारी मंदिर श्री बिहारीजी बांके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जिसके 6000 वर्गफीट भूमि पर अपीलांट द्वारा कच्चा –पक्का निर्माण कर मुर्गी फार्म का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। जहां तक अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goud
Date: 2021.10.12 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

का यह कथन है कि उसने जरिये इकरारनामा विवादित भूमि अमितकुमार से खरीदी थी। कानूनन मंदिर की खातेदारी भूमि के क्रय–विक्रय के संबंध में किये गये इस तरह के इकरारनामों की कोई विधिक मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गोड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2020 उनवानी सरकार बनाम ताराचंद मु0नं0 02/2019 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

12-10-2020

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested